पत्र संख्या : 7ब/4702 यो०ज०सं०–12/12 ......268

# झारखण्ड सरकार
# जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

**एस0 के0 शतपथी,**
प्रधान सचिव।

सेवा में,

**मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;**
संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

**राँची, दिनांक :** 27.3.12

विषय :– माँग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष–796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–18–लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड–50पी470200796180545 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत् परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

| क्र० | माँग संख्या/मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष/उप शीर्ष | विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड | आवंटित राशि (लाख रू० में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1. | 50–लघु सिंचाई विभाग /4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय | 796–जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 18–लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण | 05–निमार्ण 45 मुख्य निर्माण कार्य/ 50पी470200796180545 | 44.00 |

**अतिरिक्त आवंटित राशि – ₹ चौवालीस लाख मात्र।**

2. आवंटित राशि वर्ष 2012–2013 के संशोधित बजट उपबंध **रू० 244.00 लाख (दो करोड़ चौवालीस लाख)** मात्र के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यो के अनुरूप किया जायेगा।

5. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगें कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ओंकार नाथ) | (जयप्रकाश भट्टाचार्या) | (सुबोध कुमार सिन्हा) | (बी० सी० निगम) |
| सहायक अभियंता | उप सचिव (अभि०) | संयुक्त सचिव (अभि०) | विशेष सचिव |

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण** 31 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

**नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।**

**अनु॰ :– यथोक्त**

**(एस0 के0 शतपथी)**
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/खूँटी/साहेबगंज** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनु॰ :– यथोक्त**

**(एस0 के0 शतपथी)**
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 268 राँची, दिनांक :– 27.3.13

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) राँची/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनु॰ :– यथोक्त**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (ओंकार नाथ)<br>सहायक अभियंता | (जयप्रकाश भट्टाचार्या)<br>उप सचिव (अभि०) | (सुबोध कुमार सिन्हा)<br>संयुक्त सचिव (अभि॰) | (बी॰ सी॰ निगम)<br>विशेष सचिव | **(एस॰ के॰ शतपथी)<br>प्रधान सचिव** |

पत्रांक – 268 / राँची, दिनांक – 27-3-13 परिशिष्ट – 1 1/1

मॉग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग
मुख्य शीर्ष –4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
लघु शीर्ष –796–जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
उपशीर्ष –18–लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य,
विपत्र कोड–50P470200796180545
तृतीय अनुपुरक के बाद का बजट उपबंध (वर्ष 2012–13) रू॰ 244.00 लाख

(राशि लाख ₹ में)

| क्र. | लघु सिंचाई प्रमंडल | जिला | प्रखण्ड | योजना का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग | | मार्च 2012 तक का व्यय | वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटन | | | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | राशि | प्रसंग | | पूर्व का आवंटन | अतिरिक्त आवंटन | कुल आवंटन | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **उदृवह सिंचाई योजनाओं का निर्माण।** | | | | | | | | | | | |
| 1 | लघु सिंचाई प्रमण्डल, रॉची | राँची | सिल्ली | पतराहातु उदवह सिंचाई योजना का निर्माण | 28.020 | 43/04.02.11 | 16.48 | 20.00 | 10.00 | 30.00 | |
| | | | सिल्ली | पोगरा उदवह सिंचाई योजना का निर्माण | 30.550 | | 6.44 | | | | |
| | | | रॉची नगर निगम | छोटी घाघरा उदवह सिंचाई योजना का निर्माण | 37.870 | | 27.75 | | | | |
| | | | बुडमू | अकतान नदी पर (संख्या–1)उदवह सिचाई योजना का निर्माण | 5.720 | 15/25.06.11 | 0.00 | 22.00 | 10.00 | 32.00 | |
| | | | बुडमू | अकतान नदी पर (संख्या–2)उदवह सिचाई योजना का निर्माण | 5.720 | | 0.00 | | | | |
| | | | बुडमू | हिसरी नीचला जुहारू –1 उदवह सिंचाई योजना का निर्माण | 5.720 | | 0.00 | | | | |
| | | | बुडमू | हिसरी उपरी जुहारू उदवह सिंचाई योजना का निर्माण | 5.720 | | 0.00 | | | | |
| | | | बुडमू | हिसरी (बीच) जुहारू –1 उदवह सिंचाई योजना का निर्माण | 5.720 | | 0.00 | | | | |
| | | | बुडमू | हिसरी (बीच) जुहारू –2 उदवह सिंचाई योजना का निर्माण | 5.720 | | 0.00 | | | | |
| | | | बुडमू | बड़का मुरू–1 उदवह सिंचाई योजना का निर्माण | 5.720 | | 0.00 | | | | |
| | | | बुडमू | बड़का मुरू–2 उदवह सिंचाई योजना का निर्माण | 5.720 | | 1.34 | | | | |
| | | | बुडमू | कशीटोली उदवह सिंचाई योजना का निर्माण | 5.720 | | 0.66 | | | | |
| | | | बुडमू | हिसरी ओभर हेड टेंक ओपन –कम–वाटर हार्वेस्टिंग वेल के साथ उदवह सिंचाई योजना का निर्माण | 15.020 | | 0.00 | | | | |
| | | | | योग | **162.940** | | **52.67** | **42.00** | **20.00** | **62.00** | |
| **श्रृखलाबद्ध चेक डैम निर्माण** | | | | | | | | | | | |
| 2 | लघु सिंचाई प्रमण्डल, खुँटी | खुँटी | मूरहू | हेरेलता नाला पर श्रृखलाबद्ध चेक डैम निर्माण। | 93.437 | 20/20.09.11 | 22.61 | 40.00 | 14.00 | 54.00 | |
| | | | | योग | **93.437** | | **22.61** | **40.00** | **14.00** | **54.00** | |
| **चेक डैम निर्माण** | | | | | | | | | | | |
| 3 | लघु सिंचाई प्रमण्डल, साहेबगंज | अगलोई | बरहरवा | करनी नाला पर चेकडैम निर्माण | 27.044 | 31/10.01.12 | 13.29 | 20.00 | 10.00 | 30.00 | |
| | | दरियापुर | बरहरवा | बगोदर नाला पर चेकडैम निर्माण | 18.180 | | 6.58 | | | | |
| | | कुसुम पोखर | बरहरवा | करनी नाला पर चेकडैम निर्माण | 24.443 | | 0.00 | | | | |
| | | | | योग | **69.667** | | **19.87** | **20.00** | **10.00** | **30.00** | |
| | | | | कुल योग | **326.044** | | **95.15** | **102.00** | **44.00** | **146.00** | |

अतिरिक्त आवंटित राशि – ₹ चौवालीस लाख मात्र।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि॰)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

(बी॰सी॰ निगम)
विशेष सचिव

(एस॰ के॰ शतपथी)
प्रधान सचिव